(c) whether requirements of users of Analgin were met and will be met in full; if not, how Government proposes to meet the deficit?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) 400.00 tonnes per annum.

(b) Production during 1979-80 was Rs. 346.9 tonnes resulting in a shortfall of 13.28 per cent, main reasons being interruptions of Power, Water and breakdown in equipments, incidental to power fluctuations. During 1980-81, IDPL expects the production to be 400.00 tonnes.

(c) Yes, Sir. The demand was fully met. At present Analgin is banned for imports as besides IDPL, there are a number of manufacturers of this product. In the event of any shartfall in the availability from indigenous sources, ad hoc imports, to meet such shortfall, could be considered by Government.

रेल और सड़क द्वारा लाये ले जाये गये कोयले की मात्रा

1762. **श्री भगवान देव:** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल और सड़क द्वारा पृथक-पृथक 1977 से अनुमानत: कोयले की कितनी मात्रा का परिवहन किया गया;

(ख) रेल और सड़क द्वारा अलग-अलग कोयले की वार्षिक कितनी मात्रा का परिवहन किया गया; और

(ग) क्या देश में डीजल की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सरकार का विचार सड़क द्वारा कोयले का परिवहन जारी रखने का है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन):

(क) और (ख). कोल इंडिया तथा सिंगरैनी से उपभोक्ता क्षेत्रों को वर्ष 1977 से रेल तथा सड़क परिवहन द्वारा अलग अलग भेजे गये कोयले तथा कोयला उत्पादों की अनुमानित मात्रा इस प्रकार है:—

वर्ष	भेजा गया कोयला तथा कोयला उत्पाद	
	रेल द्वारा	सड़क द्वारा
1976–77	76.17	13.70
1977–78	77.75	16.77
1978–79	71.42	18.54
1979–80	68.77	24.72

(ग) खान मुहानों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक कोयला ले जाने का काम प्रत्येक उपभोक्ता ही करता है। वैगनों की उपलब्धि की स्थिति पर के अनुसार वह कभी कभी कोयले को सड़क द्वारा भी ले जाते हैं। किन्तु, रेल द्वारा कोयले का संचलन अधिकतम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि सड़क द्वारा ढोये जाने वाले कोयले की मात्रा कम की जा सके।

Financial Aid to States for Anti-Sea Erosion Schemes

1763. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) the amount disbursed for anti-sea erosion schemes among the different States during the past five years and the amount actually utilised by them;

(b) whether complaints of large scale erosion in several places are being received from Kerala; and

(c) whether Government propose to adopt and implement a time schedule in regard to the completion of the work in that State?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) Only Kerala State is being given Central loan assistance for anti-sea erosion works. The total loan assistance given to the Government of Kerala from 1975-76 to 1979-80 is Rs. 13 0685 crores and this has been fully utilised by the State Government.

(b) The State Government has reported that sea erosion is taking place at several places in the districts of Quillon, Ernakulam, Trichur, Calicut, Cannanore and in areas adjoining Alleppey and Trivandrum.

(c) Yes, Sir.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात कार्य कर रही विदेशी कम्पनियां

1764. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की संख्या कितनी है और उन शाखाओं के नाम क्या हैं जो 1973 की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात पांच वर्षों तक कार्य करती रही हैं साथ ही उनका उद्योग-वार और देशवार वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्पनी विभाग को अपनी बैलेंस शीट, लाभ और हानि के खाते अथवा सूचना (रिपोर्ट भेजने वाली शाखाओं) के नाम क्या हैं; और

(ग) उन शाखाओं तथा भारतीयकृत सहायक कम्पनियों की देश-वार तथा उद्योग-वार संख्या कितनी है तथा नाम क्या हैं जिन्हें कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान बन्द कर दिया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): (क) दिनांक 31-3-1980 तक, भारत में विदेशी कम्पनियों की 315 शाखाएं कार्य कर रही थी। 1973-74 की अवधि, जिसमें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम संशोधित किया था, देश में कार्य कर रही इस प्रकार की शाखाओं की संख्या 540 थी। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के संशोधन को अनुगामी करते हुए पांच वर्षों की अवधि में, उनकी संख्या 510 (1974-75), 481 (1975-76), 482 (1976-77), 473 (1977-78) और 358 (1)78-79) थी। भारत में, वर्ष 1973-74 में कार्य कर रही 540 शाखाओं के नामों को न उनके वंश-कुल की कम्पनियों के विनिगमन के देश के अनुसार व्यवस्थित करते हुए और उनका औद्योगिक वर्गीकरण सभा पटल पर रखे विवरण-पत्र 1-क में दिया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-965/80] विदेशी कम्पनियों की शाखाओं, जिनको पांच वर्षों में अर्थात् 1974-75 से 1978-79 तक की अवधि में बन्द किया/भारतीयकरण किया के नामों को विवरण पत्र 1-ख में दिया जाता है। विदेशी कम्पनियों की नई शाखाओं के नामों को जिनको उसी अवधि में खोला गया था, विवरण-पत्र 1-ग में दिये जाते हैं।

(ख) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं में अधिकतर के तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखाओं को अभी प्रस्तुत करना देय नहीं है। वर्ष 1978-79 के लिये, उस वर्ष की अवधि में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की 358 शाखाओं में से तुलन-पत्र आदि 141 शाखाओं ने प्रस्तुत किये। इन 141 शाखाओं के नाम विवरण-पत्र 2 में दिये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-965/80] शेष 217 शाखाओं में से, 25 नौपरिवहन और विमानन व्यापार में ग्रस्त थी और अलग से भारतीय लेखे प्रस्तुत नहीं कर रहीं थीं, 5 पहिले आम बीमा व्यापार से सम्बद्ध थीं (1-1-73 से राष्ट्रीयकरण कर दिया)